## उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

### //आदेश//

क्रमांक D/3030 /  जबलपुर, दिनांक 10/08/2020

सुश्री रिया अग्रवाल आत्मजा श्री महेश चंद्र अग्रवाल ने रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/2516 जबलपुर, दिनांक 04.07.2020 के पालन में संविदा नियुक्ति पर लॉ क्लर्क कम–रिसर्च असिस्टेंट के पद पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर निश्चित मानदेय रूपये 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर पर दिनांक 23.07.2020 पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

पृ.क्र D/3031 /  जबलपुर, दिनांक 10/08/2020

प्रतिलिपि :–

1. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्टस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम)(न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जूडिशियल) लेखा/पेंशन/बजट/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म. प्र.जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/सेवापुस्तिका/अवकाश/वेतनपत्रक/जी.पी.एफ. पासबुक/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/3036 जबलपुर, दिनांक 10/07/2020
08

श्री अरूण कुमार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1976 के नियम 4(एक) के अंतर्गत 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली) के रूप में, वेतनमान रूपये 4440–7440 + ग्रेड पे रू. 1300/–(7 वे वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500–49000) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्यपवर्तित करते हुए निम्नांकित शर्तों पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर नियुक्त किया जाता है :–

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।
6. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
7. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. कर्मचारी को समय–समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
9. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

.....................2

10. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
11. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,

07/8/2020

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
for रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन D/3037 जबलपुर, दिनांक 10 /07/2020 08

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेन्टर ग्वालियर(म.प्र.),,
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.)/रजिस्ट्रार–कम–पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
4. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्थापना, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक, स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री अरूण कुमार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)
for

# उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

## // आदेश //

क्रमांक D/3038 / जबलपुर, दिनांक 10/07/2020 08

श्री शरद नागर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को इस्लामिया करीमिया सोसायटी, इन्दौर द्वारा संचालित इस्लामिया प्रायवेट आई.टी.आई इन्दौर से अंग्रेजी स्टेनोग्राफी (80 व 100 शब्द प्रति मिनिट) के एक वर्षीय पाठ्यक्रम वर्ष 2020–21 में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

31.7.2020
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
For रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/3039 / जबलपुर, दिनांक 10/07/2020 08

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167–ए/855 इंदौर, दिनांक 02.07.2020 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम–पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम)....................(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर,
7. एडमिनीस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री शरद नागर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षित ।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
For

उच्च न्यायालय : मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक D/3058 /                                        जबलपुर, दिनांक 10 /अगस्त, 2020

श्री विवेक तिवारी,, कोर्ट, अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक ए/392 दिनांक 18.02.2020 व कारण बताओ नोटिस क्रमांक बी/1464 दिनांक 6.3.2020 में दिये गये निर्देशो की अवहेलना करने व उपभोग किया गया अवकाश दिनांक 04.02.20 से दिनांक 07.02.20 की अवधि में कराये गये इलाज से संबंधित चिकित्सा पर्ची, जांच रिपोर्ट एवं क्रय की गई दवाई के बिल निर्धारित अवधि में प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप उक्त अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.03.2020 को विचारोपरांत निरस्त किया गया है ।

सही/"
( प्रियदर्शन शर्मा )
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक D/3059 /                                        जबलपुर, दिनांक 10 /अगस्त, 2020

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकाल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
6. श्री विवेक तिवारी, कोर्ट अन्टेंन्ड, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

05-08-2020
( किशोर पिठवे )
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.)(पी)

# <u>उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर</u>

// <u>आदेश</u> //

क्रमांक D/3060 /                                जबलपुर, दिनांक 10/08/2020

श्री गया प्रसाद तिवारी, Court Attendant, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को कर्त्तव्य पर उपस्थिति दिनांक 03.07.2020 से वेतन का भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/–
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/3061 /                                जबलपुर, दिनांक 10/08/2020

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री गया प्रसाद तिवारी, Court Attendant, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)
ज्वांइट रजिस्ट्रार (एम) (पी)